माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/3278/वित्त–2/2017 भोपाल, दिनांक 22/3/2017

//एम्पैनलमेन्ट हेतु विज्ञापन//

भोपाल स्थित ऐसी चार्टेड अकाउन्टेन्ट फर्मो से माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के निम्नांकित कार्यो हेतु प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2017–18 से आगामी तीन वर्ष के लिये दरें आमंत्रित की जाती हैं, जो आपसी सहमति से अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए पुनः निर्धारित की जा सकेगी। जिन्हे विभिन्न निगम/मण्डलों/बैंकों/जिला पंचायतों में कम से कम 10 वर्षो के अंकेक्षण का कार्यानुभव हो, एवं न्यूनतम वार्षिक टर्न–ओवर ₹20 लाख से अधिक हो। फर्म के पास कार्य सम्पादन हेतु पर्याप्त कर्मचारी होना चाहिए। फर्म के न्यूनतम एक प्रतिनिधि के द्वारा मण्डल मुख्यालय में प्रतिदिन उपस्थित रह कर चालानों के विवरण पत्रकों का परीक्षण, मण्डल खातो का टैली सॉफ्टवेयर में संधारण कार्य एवं रिकन्सीलेशन करना होगा।

1– चालान तथा एम.पी. ऑन लाईन एवं अन्य माध्यमों से जमा होने वाली विभिन्न शुल्कों/आय का मिलान करना एवं इसके लेखा संधारण एवं रिकन्सीलेशन हेतु मण्डल को परामर्श प्रदान करना।

2– मण्डल का आय–व्यय पत्रक एवं बैलेंस शीट तैयार कर आयकर विभाग में रिटर्न फाईल करना।

3– वर्तमान लेखा प्रणाली को टैली सॉफ्टवेयर में संधारित करना।

4– आयकर एवं वाणिज्य कर सम्बन्धी प्रकरणों में परामर्श प्रदान करना एवं समयावधि में रिटर्न फाईल करना एवं मण्डल कार्यालय के आयकर विभाग/वाण्जिय कर विभाग में पूर्व वर्षो के प्रकरणों से संबंधित पेशियों मे उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण कराना एवं नवीन प्रकरणों मे मण्डल का पक्ष प्रस्तुत करना।

5– भविष्य निधि, ग्रेज्युटी एवं पेंशन आदि फण्ड्स की व्यवस्था एवं संधारण हेतु परामर्श प्रदान करने, आधिक्य आय के उपयोग एवं मण्डल के वित्तीय हितों के संरक्षण सम्बन्धी परामर्श आदि।

6– वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी (बैलेंस शीट) तैयार कर आयकर रिटर्न जमा करने के उपरांत भुगतान कार्यवाही वार्षिक आधार पर की जावेगी। आयकर/वाणिज्य कर कार्यालय मे पेशी में उपस्थित होने का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। भोपाल से बाहर स्थान पर पेशी में उपस्थित होने पर मण्डल के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पात्रता अनुसार आने–जाने का रेल/बस किराया, दैनिक भत्ता एवं होटल सुविधा देय होगी।

इच्छुक फर्म सम्पूर्ण विवरण सहित दिनांक 11/04/2017 सांय 4.00 बजे तक अपनी दरें सील बन्द लिफाफे में विगत 3 वर्ष की बैलेंस शीट एवं वांछित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न कर सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल के नाम से वित्त अधिकारी के कक्ष मे प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा। आवेदन मान्य करने/निरस्त करने का अधिकार मण्डल अध्यक्ष को रहेगा।

उक्त जानकारी मण्डल की बेबसाईट WWW.MPBSE.NIC.IN पर देखी जा सकती है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल